



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062026-273297
CG-DL-E-10062026-273297

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 10, 2026/ज्येष्ठ 20, 1948

No. 155]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 2026/JYAISTHA 20, 1948

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2026

फा.सं. डीपी-16/1/2024-डीपी/ईओ 82966.— माननीय उच्चतम न्यायालय नेरिट याचिका (सिविल) संख्या 1405/2023 (जेन कौशिक बनाम भारत संघ और अन्य) के मामले में 2026 की विविध आवेदन संख्या 1511के संबंध में दिनांक 08.05.2026 के अपने आदेश द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक व्यवहार्य समान अवसर नीति और अन्य उपायों कागहन अध्ययन करने तथा तत्संबंधी सिफारिश करने हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश, माननीया न्यायमूर्ति सुश्री आशा मेनन की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति की समय-सीमा को और छह माह के लिए बढ़ा दिया है।

- तदनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा सलाहकार समिति का कार्यकाल और छह माह की अवधि के लिए, अर्थात् 16.10.2026 तक बढ़ाती है।
- इस विभाग के दिनांक 23.12.2025 और 27.03.2026 की समसंख्यक अधिसूचनाओं में निहित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

मोना के. खंधार, अपर सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**(Department of Social Justice and Empowerment)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th June, 2026

F.No. DP-16/1/2024-DP/ EO 82966.— The Hon'ble Supreme Court, vide its Order dated 08.05.2026 in Miscellaneous Application No.1511 of 2026 in Writ Petition (Civil) No. 1405/2023 (Jane Kaushik Vs. Union of India & Others), extended the time period granted to the Advisory Committee, chaired by Hon'ble Ms. Justice Asha Menon, former Judge of the Delhi High Court, by a further period of six months for conducting an incisive study and recommending a viable equal opportunity policy and other measures for transgender persons.

2. Accordingly, in pursuance of the aforesaid Order of the Hon'ble Supreme Court, the Central Government hereby extends the tenure of the Advisory Committee for a further period of six months, i.e., up to 16.10.2026.

3. All other terms and conditions contained in this Department's Notifications of even number dated 23.12.2025 and 27.03.2026 shall remain unchanged.

MONA K. KHANDAR, Addl. Secy.